

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क० ९/नर्सिंग/सेल-३/२०१३/७९०
प्रति,

भोपाल दिनांक ५/०८/२०१३

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला उज्जैन म.प्र.

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर/सीधी
मध्यप्रदेश।

विषय :- एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम वर्ष २०१२-१३ में प्रवेश हेतु अनुमति बावत्।

आपके कार्यालय में कार्यरत निम्नानुसार कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम वर्ष २०१३-१४ में प्रवेश की अनुमति निम्नानुसार शर्तों के अधीन दी जाती है :-

श्रीमति अनिता सिंह स्टाफ नर्स जिला चिकि. बालाघाट	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन ७ वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
श्रीमति अनिता असरानी प. है.ट्यू. शास. नर्सिंग महा. उज्जैन	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन ७ वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
श्रीमति सुषमा मर्सी योहन सिस्टर ट्यूटर, ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर मंदसौर	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन ७ वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
श्रीमति सेवती पटेल स्टाफ नर्स, माधवनगर चिकि. उज्जैन	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन ७ वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
श्रीमति रजनी रेडडी स्टाफ नर्स, टी.बी. अस्प. भोपाल	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश

		पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।
कु. रश्मि कॉलेट स्टाफ नर्स, जिला चिकि. बालाघाट	स्वयं के व्यय पर	अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने के कारण अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा। खाते में शेष अवकाश नियमानुसार स्वीकृत कर शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बावत् सशर्त अनुमति दी जाती है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन के अधीन 7 वर्ष कार्य करने के लिये अनुबंध पत्र प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त कर्मचारियों को एम.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके नाम सम्मुख दर्शायी गई शर्तों के अनुसार लिखित में सहमति एवं अनुबंध पत्र प्राप्त करे तदपश्चात् इन्हें कार्यमुक्त करने की कार्यवाही करें। अध्ययन अवकाश की पात्रता होने पर निर्धारित प्रारूप में अवकाश आवेदन भरकर भेजें एवं अध्ययन अवकाश की पात्रता न होने की स्थिति में कर्मचारियों के खातों में शेष अवकाश पात्रता के अनुसार अवकाश आवेदन पत्र प्राप्त कर संचालनालय को प्रेषित करें, स्वीकृत अवकाश अनुसार वेतन आहरण की कार्यवाही की जावे एवं शेष अवधि का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही करें। उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा एम.एस.सी. नर्सिंग में प्रवेश संबंधित प्रमाण(प्रोविजनल एडमिशन) प्रस्तुत करने के पश्चात् ही इन्हें कार्यमुक्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।


OK 
संचालक
चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क0 9/नर्सिंग/सेल-3/2013 /79 !

भोपाल दिनांक 5 / 8 / 2013

प्रतिलिपि – सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन/जबलपुर/भोपाल संभाग मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य बी.एस.सी. नर्सिंग कालेज उज्जैन/जबलपुर म.प्र.।
3. प्राचार्य ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र मंदसौर म.प्र.।
4. संबंधित कर्मचारी की ओर पालनार्थ।

OK 
संचालक
चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश